



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2013—माघ 11, शक 1934

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. 54-22-2013-आनीविं-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 36-2012-आनीविं-चार, दिनांक 27 जनवरी, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

- (1) पैरा 2 क्रमांक 1 में शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2013” के स्थान पर शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2014” स्थापित किया जाय।
- (2) पैरा 2 क्रमांक 2 में शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2013” के स्थान पर शब्द तथा अंक “31 जनवरी, 2014” स्थापित किया जाय।

No. 54-22-2013-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 243-1 of the constitution of India read with Section 3 of Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the department Notification No. 36-2012-EPAU-IV, Dated 27th January, 2012, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notificatio,—

- (1) In para-2 Serial No. 1 of the Notification for the words and figure "31st January, 2013" the words and figures "31st January, 2014" shall be substituted.
- (2) In para-2 Serial No. 2 of the Notification for the words and figure "31st January, 2013" the words and figures "31st January, 2014" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,